राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1708 / 2012

शहनाज कुरेसी —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक कम उप शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. उपनिदेशक (प्रशासन) समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री हरिप्रसाद शर्मा, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीया की नियुक्ति ग्राम सेवक के पद पर हुई थी। आदेश दिनांक 02.08.2011 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थीया को दिनांक 04.03.2003 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया था, जिसके पश्चात अपीलार्थी निरंतर प्रत्यर्थी विभाग में कार्यरत है। इस अपील में अपीलार्थीया ने यह आपत्ति उठाई है कि अपीलार्थीया को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।
2. अपीलार्थीया द्वारा दिये गये तर्कों के अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थीया को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान देय होने के संबंध में विचार करके उचित आख्यात्मक आदेश पारित करेंगे।
3. इस आदेश की पालना 3 माह में की जायें। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)